

नम
आ
हुक

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज


नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए


12-5-17 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष
उपरोक्त अहकाम करके हुए पत्रावली दिनांक
31-5-17 को पेश है।


31-5-2017 वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं। पत्रावली
दिनांक 1-6-17 को राजस्व लोक अदालत कैम्प अमरगढ पर
पेश है।


1-6-17 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प
अमरगढ पर पेश हुई। यादी राजबहादुर व प्रतिवादी
धर्मसिंह उपस्थित हैं। पक्षकारों ने राजीनामा इस
आशय का पेश किया है कि पक्षकारों के मध्य
राजीनामा हो गया है। अतः यह दावा खारिज कर
दिया जावे।

अतः पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के
प्रसुमार यह दावा खारिज किया जाता है। पत्रावली
जिसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद
वकील वासिल दफतर हो।


(रवि कुमार शर्मा)
बैरवोकेर
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी


(सतीश कुमार शर्मा)
बैरवोकेर
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी


(कौशाल चन्द्र)
अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी


पक्षकारों

राजबहादुर
वकील

चामी

पत्रावली

पत्रावली

पत्रावली

392 की
31)

दिनांक 10-3-17
को पेश है।

37 4C

पत्रावली

37 3)

नम्बर
अहकाम
हुक्म व
में ज

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) अमरगढ

पीठासीन अधिकारी:- बाबूलाल जाट, आर.ए.एस.

उनवान

राजबहादुर उर्फ बबलू पुत्र श्रीनारायण, मीना निवासी डिबस्या तह0 गंगापुर सिटी —वादी
बनाम

नारायण पुत्र भैरू, मीना निवासी डिबस्या तह0 गंगापुर सिटी

सकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी

धर्मसिंह पुत्र पृथ्वीराज मीना निवासी बिनेगा तह0 गंगापुर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती वस्थाई निषेधाज्ञा

सा नं. - 69/2012

वादी की ओर से वादी राजबहादुर की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी धर्मसिंह की अतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि लोक अदालत में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादी अपना वाद नहीं चाहता है अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। राजीनामा निर्णय का हिस्सा पक्षकारों अपना अपना वहन करेंगे।

यह आदेश तारीख 1.6.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



बाबूलाल जाट
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी
कलेक्टर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	/
अर्जी के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
प्लीडर के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
निर्वाह के लिए व्यय		आदेशिका की तामील	
कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	

शा.प.र.द.

1-6-2017

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

प्रपत्र-1

न्यायालय उप खंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

आवेदन पत्र

कैम्प कोर्ट का स्थान अमरगढ़

नम्बर मुकदमा..... 69/2012

लनवान मुकदमा.....

राजा बहादुर बनाम अनिराम ब कौरा

विषय : लोक अदालत की भावना से प्रकरण में राजीनामा करने हेतु।

सहोदर,

दिनम्र निवेदन है कि प्रार्थी उक्त प्रकरण में वादी/प्रार्थी/
अपीलार्थी/ प्रतिवादी/प्रत्यर्थी/रेस्पोंडेन्ट है तथा उक्त प्रकरण में लोक
अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा/समझौता करना चाहता
है।

अतः कृपया उक्त प्रकरण अनुसारतः निस्तारित करने की कृपा करें।

प्रार्थी

स्थान अमरगढ़

दिनांक 1-6-2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापूर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :- अन्नरगड

राजीनामा प्रपत्र

पीठासीन अधिकारी महोदय,

दिनांक 1-6-2017

गंगापूर सिटी

राजकधादूर बनाम

श्रीनिवासरयण वर्गेवा

69/2012 अन्तर्गत धारा

88, 188, 207 R.T. Act.

आ प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री राजकधादूर
कि उक्त जनमान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो
सकते बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।
आपकी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-

हम पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है। हम पक्षकार
इस दावे को चलाना नहीं चाहते हैं। अतः दावा स्वारिज कर दिया
जो

हमसे निवेदन है कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

श्री. B. Babudh

प्रतिवादी पक्ष 1.

श्री. B. Babudh

2.

वास्तो धर्म. लो

3.

धर्मसिंह मीना

4.

मीना

नाथ

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर

(प्रतिवादी पक्ष) नाम

राजकधादूर

एवं अर्थात्/ प्रतिवादी

धर्मसिंह मीना

उक्त लिखित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामें की इबारत को सुन व समझ कर सही होना
आपकी राजीनामा इस्वखाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह0 सदस्य)

(ह0 सदस्य)

(ह0 सदस्य)

श्री. B. Babudh
सदस्य

श्री. B. Babudh
(सतीश कुमार शर्मा)

सदस्य

(B)
(बाबू लाल शर्मा)
पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत
गंगापूर सिटी

लोक अदालत
गंगापूर सिटी

लोक अदालत
गंगापूर सिटी

उप-निर्देशक